भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2705

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

2705. श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया और इसकी सहयोगी कंपनियां अपनी नई कोयला खनन परियोजनाओं और विस्तारित परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में बाधाओं का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहयोगी कंपनियों को भूमि अधिग्रहण में सामने आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान समय के अनुरूप भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोयलाधारक क्षेत्र अधिनियम (अर्जन और विकास), 1957 में संशोधन करने की मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्तमान समय के अनुरूप उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णल लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख) : कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियां नई कोयला खनन परियोजनाओं की आवश्यकता और मौजूदा खानों के विस्तार के अनुसार भूमि अधिग्रहण कर रही हैं। कोयला कंपनियां राज्य सरकारों की सहायता से भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम हैं। कुछ मामलों में, अयतित रिकार्ड की कमी, बटवारे से संबंधित विवादों, अधिक मुआवजे की मांग तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभों के कारण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।

(ग), (घ) और (ङ) मंत्रालय में प्राप्त कुछ सुझावों की जांच की जा रही है।

****